

न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का हरखाली

बनाम

विप्रार्थी

किरपाराम पुत्र हड़मताराम
कौम जाट निवासी सिगोडिया

मुकदमा नम्बर 13/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय


दिनांक 04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम नया बाटाडु के खसरा नम्बर 1297/601 बीघा कुल रकबा 53.17 बीघा में से 2000 वर्ग फीट किस्म गैर.मू. गोचर भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का हरखाली द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रु 50 गुणा जुर्माना रु 100/- अखरे एक सौ रुपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 4.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार बायतु
तहसीलदार बायतु
जिला बाड़मेर

(ब) ताराख जिस पर कि भाग ए तलफ किया गया